बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद्

की बैठक

दिनांक 26-03-2019

की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 26.03.2019 को अपराह्न 3:00 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	–	कुलपति / अध्यक्ष
2. डा. दिलीप वि. सरदेसाई	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
4. प्रो. शिवकुमार कटियार	–	सदस्य
5. प्रो. अर्चना वर्मा	–	सदस्य
6. प्रो. एम. एम. सिंह	–	सदस्य
7. डा. ओमकार चौरसिया	–	सदस्य
8. डा. मुन्ना तिवारी	–	सदस्य
9. डा. आलोक वर्मा	–	सदस्य
10. डा. रितु सिंह	–	सदस्य
11. डा. पूनम श्रीवास्तव	–	सदस्य
12. डा. तारेश भाटिया	–	सदस्य
13. डा. संजय निबौरिया	–	विशेष आमंत्री सदस्य
14. श्री धर्मपाल	–	वित्त अधिकारी
15. श्री नारायण प्रसाद	–	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

माननीय कुलाधिपति नामित सदस्य डा. दिलीप वि. सरदेसाई परिषद् की अपनी प्रथम बैठक में उपस्थित हुए। कुलपति द्वारा उनका परिचय कराया गया तथा सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया।

01. कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 07.02.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 02.03.2019 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 07.02.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 02.03.2019 की कार्यवाहियों की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की।

02. परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 22.02.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 22.02.2019 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

03. विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2019 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

04. वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2019 की कार्यवाही, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट के मूल अनुमानों सहित अन्य बिन्दु थे, का परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। मुख्य आंकड़े निम्नवत हैं –

वित्तीय वर्ष	आय (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)	बचत (लाख रू. में)	घाटा (लाख रू. में)	अभ्युक्ति
2017–2018 (वास्तविक)	6,486.40	5,412.81	1,073.59	....	
2018–2019 (मूल अनुमान)	8,325.55	9,215.17	....	889.62	
2018–2019 (वास्तविक प्रथम छः माह)	866.48	2,904.89	....	2,018.41	
2018–2019 (संशोधित)	7,642.55	7,123.52	519.03	....	
2019–2020 (मूल अनुमान)	9,138.12	10,540.85	....	1,402.73	

05. विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण विभाग में PG Diploma in Environmental Management(PGDEM) एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 से संचालित करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण विभाग में PG Diploma in Environmental Management(PGDEM) एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 से संचालित करने के सम्बन्ध में सूचित करना है कि विद्या परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 23.01.2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2017 में अनुमोदन के उपरान्त पर्यावरण विभाग में PG Diploma in Environmental Management(PGDEM) एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के लिये नियमानुसार शासन को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या बी.यू.

/एके./2018/3989 दिनांक 12.09.2018 प्रेषित किया गया। परन्तु शासन से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति / उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7(7)/94 दिनांक 04 फरवरी 2000 के अंतर्गत संचालित किया जाना प्रस्तावित है, अतः परिषद् द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

06. शासनादेश संख्या वे. ओ.–2–665(1)दस–54(एम)2008 टी. सी. दिनांक 26.09.2013 के कम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/11968–84 दिनांक 14.03.2019 द्वारा 12 कर्मचारियों का पदनाम एवं ग्रेड वेतन परिवर्तित किये जाने हेतु जारी किया गया। अतः पत्र परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शासनादेश संख्या वे. आ.–2–665(1)/दस–54(एम) 2008 टी.सी. दिनांक 26 सितम्बर 2013 के अनुपालन में लिपिकीय संवर्ग के गठन हेतु 12 कर्मचारियों के पदनाम एवं ग्रेड वेतन परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तित किया गया। उपर्युक्त सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/11968–84 दिनांक 14.03.2019 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

07. श्री प्रवीण राजपूत, नैत्यिक सहायक द्वारा स्वेच्छा से दिए गए त्यागपत्र को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

श्री प्रवीण राजपूत पुत्र स्व. श्री सियाराम राजपूत को विश्वविद्यालय पत्रांक संख्या – बु. वि./प्रशा0/ 2018/ 2103–07 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक सहायक के पद नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। उक्त नियुक्ति पत्र के परिप्रेक्ष्य में श्री प्रवीण राजपूत ने दिनांक 29.08.2018 की पूर्वान्ह में नैत्यिक सहायक के पद पर प्रशासन विभाग में कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री प्रवीण राजपूत दिनांक 29.08.2018 से 02.09.2018 तक ही कार्यालय में उपस्थित रहे। इसके पश्चात अद्यतन अनवरत अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 01.10.2018 एवं 22.12.2018 को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। परन्तु वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। श्री प्रवीण राजपूत द्वारा प्रेषित हस्तलिखित पत्र दिनांक 07.11.2018 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 19.11.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रवीण राजपूत द्वारा बिना किसी दबाव के अपरिहार्य कारणों से नैत्यिक सहायक पद से स्वेच्छा से त्याग–पत्र दिये जाने का उल्लेख किया जिसके कम में विश्वविद्यालय कार्यालय के पत्रांक संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2018/ 10597–10601 दिनांक 29.12.2018 द्वारा विज्ञापन संख्या 60/2018–19 के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु दी गई जो कि दिनांक 30.12.2018 को दैनिक अमर उजाला, झॉसी में प्रकाशित हुई कि श्री प्रवीण राजपूत दिनांक 10.01.2019 तक कार्यालय में उपस्थित नही होते है तो इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। इसके पश्चात भी श्री प्रवीण राजपूत विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए और अद्यतन अनुपस्थित हैं।

अतः परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लियां गया कि श्री प्रवीण राजपूत द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 07.11.2018 को स्वीकार कर लिया जाये तथा उनको मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक सहायक पर की गई नियुक्ति से कार्यमुक्त कर दिया जाये।

08. डा. मानवेन्द्र सिंह सेंगर – सहायक आचार्य, (एस.एफ.एस.) जन्तु विज्ञान विभाग, को एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/12113–19 दिनांक 19.03.2019 के अनुमोदन पर विचार।

डा. मानवेन्द्र सिंह सेंगर – सहायक आचार्य, (एस.एफ.एस.) जन्तु विज्ञान विभाग, को बिपिन बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाँसी में सहायक आचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु याचित एक वर्ष दिनांक 19.03.2019 से 18.03.2020 का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/12113–19 दिनांक 19.03.2019 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

09. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) डा. मुन्ना तिवारी – सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा डा0 पुनीत बिसारिया, सह आचार्य, हिन्दी विभाग की पूर्व संस्था में की गई सेवाओं को जोड़े जाने पर वेतन संरक्षण लाभ दिये जाने का प्रकरण उठाया गया।

इस प्रकरण हेतु परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 07.02.2019 में लिये गए निर्णय के क्रम में नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर द्वारा डा. बिसारिया का त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना दी गई। त्यागपत्र स्वीकारने की छाया प्रति विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। परन्तु विश्वविद्यालय हेतु नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर से मूल प्रति प्राप्त नही हुई है। अतः परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर से डा. बिसारिया के त्यागपत्र स्वीकारने की मूल प्रति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के विरूद्ध योजित होने वाली याचिकाओं में विश्वविद्यालय की ओर से प्रभावी रूप से पैरवी किये जाने हेतु परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री रोहित पाण्डेय को विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वादों में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु श्री रोहित पाण्डेय, चैम्बर नं 123, नई बिल्डिंग हाई कोर्ट, इलाहाबाद को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या बु.वि./विविध/2019/689 दिनांक 12.03.2019 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

(3) डा. विजय कुमार खैरा – माननीय कुलाधिपति नामित कार्य परिषद् सदस्य द्वारा श्री उमेश करौलिया – नैत्यिक सहायक (निलम्बित) के प्रकरण में गठित अनुशासन समिति की आख्या का बन्द लिफाफा खोले जाने हेतु परिषद् से अनुरोध किया। जिसका डा. सरदेसाई द्वारा भी समर्थन किया। परन्तु उपर्युक्त क्रम में परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 07.02.2019 में लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। जिसमें परिषद् द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध अन्य प्रकरण में गठित जॉच समिति से शीघ्रातिशीघ्र जॉच कराकर आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

26.3.19
(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

26/3
(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति